

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/289
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00190
CICOM/R/2019/00672

दिनांक: 27.11.2019

अपीलकर्ता : श्री गौरव कुमार,
40 एफ 260,
स्काई टावर, संजय पलेस,
आगरा, उत्तर प्रदेश।

निर्णय की तारीख: 27.11.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	01.09.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	23.09.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	17.10.2019
प्रथम अपील की डायरी सं.	18408/22.10.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 01.09.2019 को आर.टी.आई. आवेदन दाखिल किया गया था। प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि उन्हें अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 01.09.2019 का उक्त आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 23.09.2019 को सूचना प्रेषित की गई है। श्री राजप्पा द्वारा प्रदान की गई सूचना में भूलवश (टंकण चूक के कारण) आर.टी.आई. आवेदन का विवरण गलत चला गया है, परन्तु प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सपष्ट एवं तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा दिनांक 23.09.2019 को प्रेषित सूचना एवं श्री राजप्पा द्वारा शुद्धि-पत्र (Corrigendum) दोनों इस आदेश के साथ संलग्न हैं।
3. तदुसार प्रथम अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

संलग्नक - यथोपरि।

शान्ति प्रिय बेक

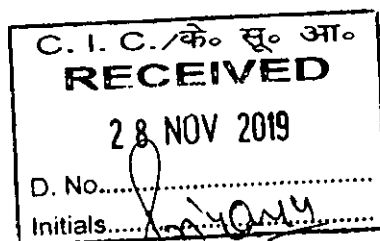
अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

23.08.2019
दिनांक 17.09.2019

संचिका सं. CICOM/R/2019/00672

सेवा में,

श्री गौरव कुमार,
40 एफ 260, स्काई टावर,
संजय प्लेस, आगरा,
उत्तर प्रदेश ।

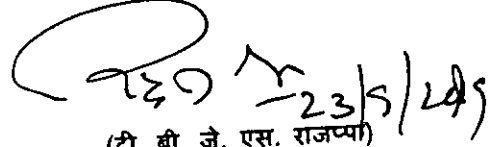
विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक डी.ओ.पी.टी. को प्रेषित आपका दिनांक 08.08.2019 का आर.टी.आई. आवेदन जिसे डी.ओ.पी.टी. द्वारा दिनांक 19.08.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया जो कि दिनांक 05.09.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ से संबंधित सूचना निम्नानुसार है :-

वांछित सूचना आयोग की वेबसाइट www.cic.gov.in के Citizen Service कॉलम के Dak/Appeal/Complaint Status में उपलब्ध है, वहाँ से जरूरत के अनुसार सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री पीयूष अग्रवाल, पंजीयक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26105021 पर की जा सकती है ।


(टी. बी. जे. एस. राजपुरा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690

